क्रम-संख्या–193(ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 3 दिसम्बर, 2025

अग्रहायण 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

संख्या I / 1162031-2025

लखनऊ, 3 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0–70

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–35 के उपनियम–(2), (3), (4) एवं (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 3327 / 86–2017–151(सा0)–2017, दिनांक 4 जनवरी, 2018 का अधिक्रमण करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ–4 में उल्लिखित अधिकारिता के भीतर उक्त अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियमों के अधीन उन खनिजों के सम्बन्ध में जिन पर उक्त नियमावली लागू हो और जो उक्त नियमावली में यथा उल्लिखित ऐसी शर्तों के अध्यधीन हो, शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करते हैं:–

अनुसूची

क्र0सं0	नियम	अधिकारी	अधिकारिता का क्षेत्र
1	2	3	4
1	35(2), 35(3), 35(4) और 35(5)	(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त निदेशक की पंक्ति से अनिम्न कोई अधिकारी।	राज्य के भीतर (साधारण मिटटी एवं ईंट मिट्टी की खनन योजना के अलावा अन्य खनन योजना हेतु)
		(2) जिला अधिकारी	जिले के भीतर (साधारण मिट्टी एवं ईंट मिट्टी का खनन योजना हेतु)

आज्ञा से,
माला श्रीवास्तव,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. I/1162031-2025 :

No. I/1162031-2025
Dated Lucknow, December 3, 2025

IN exercise of the powers under sub-rules (2), (3), (4) and (5) of rule 35 of the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 and in supersession of the notification no. 3327/86-2017-151 (Sa.)-2017 dated January 4, 2018, the Governor is pleased to authorize the officers mentioned in Column-3 of the Schedule given below to exercise the powers under the rules mentioned in Column-2 of the said Schedule in respect of minerals to which the said rules apply and subject to such conditions as mentioned in the said rules, within jurisdiction mentioned in Column-4 of the said Schedule :-

SCHEDULE

Sl. No.	Rules	Officer	Area of jurisdiction
1	2	3	4
1.	35(2), 35(3), 35(4) and 35(5)	(1) Directior, Geology and Mining, Uttar Pradesh or an officer, not below the rank of Joint Director, nominated by Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh.	Within the State (for mining plan other than mining plan of ordinary earth and ordinary clay)
		(2) District Officer	Within the District (for mining plan of ordinary earth and ordinary clay)

By order,
MALA SRIVASTAVA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 272 राजपत्र–2025–(796)–599 प्रतियां–(क0/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 भूतत्व एवं खनिकर्म–2025–(797)–1200 प्रतियां–(क0/टी0/आफसेट)।